1

Constitutional Law

of India

LL.B II Sem.

Dr Nishat Jhan N.A.S. (P.G) college

Meerut

14/5/2020

Liability of the State for the Tortious acts of its Servents

प्रश्न 133 : सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियोजन काल में हुई दुष्कृतियों के प्रति सरकार के उत्तरदायित्वों का परीक्षण कीजिये। निर्णीत वादों का हवाला भी दीजिये।

Examine the liability of the Government for Torts committed by its servants during the course of their employment, Refer to decided case. (OR)

अपने कर्मचारियों द्वारा किये गये दृष्कृति कार्यों के लिए भारतीय सरकार का क्या उत्तरदायित्व है? निर्णीत वादों का सन्दर्भ दीजिए।

What is the liability of the Government of India for the tortious acts committed by their employees? Refer to decided cases.

उत्तर:

भारत सरकार या किसी राज्य-सरकार के द्वारा उसके विरूद्ध वाद (Suit by or against the Government of India or the Government of any State)

अनु० 300 के अनुसार, भारत सरकार के द्वारा या उसके विरूद्ध कोई वाद 'भारत–संघ' (Union of India) के नाम से, और किसी राज्य–सरकार के द्वारा या उसके विरूद्ध कोई वाद उस 'राज्य' के नाम से ही चलाया जा सकेगा।

राज्य का, अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिये दायित्व (Liability of the State for the torts of its servants)- राज्य का अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिये दायित्व, उपर्युक्त अनु० 300 के अनुसार, इसी प्रकार से यथावत् बना हुआ है जिस प्रकार से वह, इस संविधान के पूर्व, भारत डोमिनिअन के सम्बन्ध में कायम था।

इस संविधान के पूर्व स्थिति यह थी कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के उत्तराधिकारी के रूप में भारत–डोमिनिअन उसी प्रकार से अपने सेवकों के अपकृत्यों के लिये उत्तरदायी होता था जिस प्रकार से ईस्ट इण्डिया कम्पनी होती थी।

इस सम्बन्ध में **'पी० ओ० स्टीम नैविगेशन कम्पनी बनाम दि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इण्डिया'** (1861) 5 Bombay H.C.R. appeal cases 1 का वाद एक अच्छा न्यायिक दृष्टान्त है, जिसका अनुसरण आगे कई मामलों में भी किया गया है।

इस वाद में उपर्युक्त वाद–अपीलार्थी पक्षकार कम्पनी का एक सेवक एक घोड़ा गाड़ी में गार्डेन–विच से कलकत्ता की यात्रा करते हुए जब वह खिदिरपुर के सरकारी डाकयार्ड से होकर गुजर रहा था, तब उस डाकयार्ड के कुछ कर्मचारी एक जहाज की मरम्मत के लिए लोहे का एक भारी टुकड़ा ले जा रहे थे और सड़क के बीचो बीच चल रहे थे, जबकि सड़क के दोनों और काफी जगह खाली पड़ी हुई थी। जब वादी–कम्पनी की घोड़ा–गाड़ी कर्मचारियों के नजदीक पहुँची, तब उसके चालक ने उन कर्मचारियों को सावधान किया और घोड़ा–गाड़ी की चाल भी धीमी कर दिया, किन्तु कर्मचारियों ने हड़बड़ाकर सड़क की दूसरी ओर जाने की कोशिश की, जिसमें काफी समय लगा और तब तक घोड़ा–गाड़ी उनके बिल्कुल नजदीक पहुँच चुकी थी। घोड़ा–गाड़ी को इतने नजदीक देखकर उन्होंने अचानक लोहा गिरा दिया, जिसकी जोरदार आवाज से चौंक कर घोड़े तेजी से आगे बढ़े और लोहे पर गिर पड़े जिससे एक घोड़े को क्षति पहुँची जो लगभग 350 रूपये तक थी। तब वादी कम्पनी भारत–राज्य सचिव के विरूद्ध भारत सरकार के सेवकों की उपेक्षा के कारण अपने घोड़े को पहुँची क्षति के लिये नुकसानी का दावा दायर किया।

प्रभुता सम्पन्न शक्ति (Sovereign Power) एवं **गैर प्रभुतासम्पन्न शक्ति** (Non-Sovereign Power): **राज्य का दायित्व**

न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत–राज्य सचिव सरकारी सेवकों की उपेक्षा से हुई क्षति के लिये उसी प्रकार उत्तरदायी है, जिस प्रकार एक साधारण नियोजक अपने सेवकों की उपेक्षा के लिये उत्तरदायी होता है। न्यायालय ने '**प्रभुतासम्पन्न शक्ति**' (Sovereign Power), और '**गैर प्रभुतासम्पन्न शक्ति**' (Non-Sovereign power) के प्रयोग में किये गये कृत्यों के बीच भेद करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य का दायित्व केवल उन कृत्यों के लिये नहीं होता है जो 'प्रभुतासम्पन्न शक्ति' के प्रयोग में किये जाते हैं, गैर प्रभुतासम्पन्न शक्ति के प्रयोग में किये गये कृत्यों, जैसे वाणिज्यिक संव्यवहारों के लिये वह (राज्य) दायित्वाधीन है।

'**राजस्थान सरकार बनाम विधावती**' AIR 1962, S.C. 933 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपर्युक्त मामले में '**प्रभुतासम्पन्न शक्ति**' और 'गैरप्रभुतासम्पन्न शक्ति' के प्रयोग में किये गये कृत्यों के बीच किये गये भेद का अनुमोदन करते हुए सरकारी सेवक के अपकृत्य के लिये राज्य–सरकार को वादी के प्रति नुकसानी के लिये उत्तरदायी ठहराया है। इस मामले में राजस्थान सरकार की एक सरकारी जीप को उसके एक अस्थायी कर्मचारी ने वर्कशाप से उसकी मरम्मत होने के बाद, तेजी से और असावधानी से चलाते हुए वादी के पति को कुचल दिया जिससे उसको गम्भीर चोटें पहुँची और उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तब मृतक की पत्नी, वादिनी ने, राजस्थान सरकार के विरूद्ध नुकसानी के लिये यह वाद दायर किया।

न्यायालय ने निरूपित किया कि दुर्घटना उस समय घटित हुई थी जब सरकारी जीप मरम्मत के बाद वर्कशाप से वापस जा रही थी, जो प्रभुतासम्पन्न कृत्य नहीं था। 'सम्राट अपकृत्य नहीं कर सकता हैं' के सिद्धान्त पर आधारित इंग्लैण्ड के 'कामन लॉ' का विशेषाधिकार भारत में लागू नहीं है, और यह स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये कि राज्य अपने सेवकों के अपकृत्य के लिये उसी प्रकार से उत्तरदायी है, जिस प्रकार से एक सामान्य नियोजक होता है।

कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार AIR 1965 S.C. 1039 के मामले में अपीलार्थी कस्तूरी लाल सोने का कारोबार करता था और मेरठ में अपना सोना बेचने गया था। पुलिस ने उसे चोरी के माल रखने के सन्देह में गिरफ्तार कर लिया और उसका सोना जब्त कर लिया। उसका सोना और चॉदी पुलिस मालखाने में पुलिस अभिरक्षा में जमा कर दिया गया और यह कहा गया है कि उक्त वस्तुएँ उसके मामले के निपटारे तक वहाँ जमा रहेंगी। संयोगवश, जो पुलिस कान्सटेबिल मालखाने पर पहरे पर था वह सोना और चॉदी चुराकर पाकिस्तान भाग गया।

न्यायालय द्वारा कस्तूरी लाल निर्दोष घोषित कर दिया गया। उसके पश्चात् अपीलार्थी ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध सोना और चॉदी लौटाने हेतु तथा पुलिस की उपेक्षा के कारण होने वाली क्षति के लिए नुकसानी का वाद संस्थित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार नुकसानी देने के लिए दायी नहीं थी क्योंकि पुलिस द्वारा किया गया कार्य संप्रभु कृत्यों के